न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प बयाना

पीठासीन अधिकारी :— श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :— 61/2011 (223 आर0टी0एक्ट0)
आर.सी.एम.एस. संख्या :— 2011/00192

उनवान

1. प्रमल पुत्र कजोडया जाति मीणा, निवासी ग्राम जगजीवनपुर तहसील वैर जिला भरतपुर।
   1/1. श्रीमती मिश्री पत्नि प्रमल जाति मीणा नि0 ग्राम जगजीवनपुर तहसील वैर जिला भरतपुर।
   1/2. गंगासहाय पुत्र प्रमल } जाति मीणा निवासी ग्राम जगजीवनपुर तहसील वैर जिला भरतपुर।
   1/3. हरीकेश पुत्र प्रमल }
   1/4. सूरजबाई पुत्री प्रमल पत्नि रामराज जाति मीणा निवासी ग्राम करोडी तहसील सिकराय जिला दौसा।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. गुलवाई पुत्री भौरया पत्नि सिरिया जाति मीणा निवासी बारा खोहर्रा तहसील महवा जिला दौसा।
   .....असल रैस्पो0
2. भौती उर्फ भौरी वेवा सुखचन्द जाति मीणा निवासी ग्राम जगजीवनपुर तहसील वैर जिला भरतपुर।
3. मोतीराम पुत्र फूल्या जाति मीणा निवासी ग्राम जगजीवनपुर तहसील वैर जिला भरतपुर(मृतक)
   3/1. रामो पत्नि मोतीराम
   3/2. दशरथ } पिसरान मोतीराम जाति मीणा नि0 ग्राम जगजीवनपुर तहसी वैर जिला भरतपुर।
   3/3. हरीकेश }
   3/4. समर सिंह }
   3/5. केशवाई पुत्री मोतीराम पत्नि नामालुम जाति मीणा निवासी खेडला तहसील महवा जिला दौसा।
   3/6. मोटी पुत्री मोतीराम पत्नि नामालुम जाति मीणा निवासी प्रयागपुरा तह0 लक्ष्मणगढ जिला अलवर।
   3/7. शकुन्तला पुत्री मोतीराम पत्नि नामालुम जाति मीणा निवासी प्रयागपुरा तह0 लक्ष्मण गढ जिला अलवर।
4. रत्तीराम }
5. करन सिंह } पिसरान फूल्या जाति मीणा निवासी ग्राम जगजीवनपुर तह0 वैर जिला भरतपुर।
6. नारायण सिंह }
7. श्योपाल पुत्र हरचन्द जाति मीणा निवासी ग्राम जगजीवनपुर तहसील वैर जिला भरतपुर(मृतक)।
   7/1. विश्राम }
   7/2. सुखराम } पिसरान श्योपाल जाति मीणा नि0 ग्राम जगजीवनपुर तह0 वैर, भरतपुर।
   7/3. लखन सिंह }
   7/4. किशनबाई पुत्री श्योपाल पत्नि नामालूम जाति मीणा निवासी सालिमपुर तहसील महवा जिला दौसा।
   7/5. प्रेमवती पुत्री श्योपाल पत्नि नामालूम जाति मीणा निवासी सालिमपुर तहसील महवा जिला दौसा।
   7/6. रूपबाई पुत्री श्योपाल पत्नि नामालूम जाति मीणा निवासी डोरावली तहसील टोडाभीम जिला करौली।
8. रामफल पुत्र हरचन्द जाति मीणा निवासी ग्राम जगजीवनपुर तहसील वैर जिला भरतपुर।
9. केशर पत्नि भरतलाल }
10. लहरकी पत्नि रामफल } जाति मीणा नि0 ग्राम जगजीवनपुर तह0 वैर जिला भरतपुर।
11. हुल्ला पुत्र मंगल }
12. अमर सिंह पुत्र मंगल जाति मीणा निवासी ग्राम जगजीवनपुर तहसील वैर जिला भरतपुर(मृतक)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

12/1. सन्ता वेवा अमर सिंह
12/2. अशोक पुत्र अमर सिंह
12/3. दिनेश
} जाति मीणा नि0 ग्राम जगजीवनपुर तह0 वैर जिला भरतपुर।

12/4. गीता पुत्री अमर सिंह पत्नि नामालुम जाति मीणा निवासी मूँडरी तहसील हिण्डौन जिला करौली।

13. पानबाई वेवा जगराम
14. लेखराज पुत्र सुखचन्द
15. रामेश्वरी वेवा सुखचन्द
16. शीतल
17. केशरबाई
18. निरपति
19. रामखिलाडी पुत्र रंगी जाति मीणा निवासी ग्राम जगजीवनपुर तहसील वैर जिला भरतपुर।
20. रामभरोसी पुत्र रंगी जाति मीणा निवासी ग्राम जगजीवनपुर तहसील वैर जिला भरतपुर (मृतक)

20/1. लौहरी पत्नि रामभरोसी
20/2. बलराम
20/3. लेखराज पिसरान रामभरोसी
20/4. रजनी पुत्री रामभरोसी
} जाति मीणा नि0 जगजीवनपुर तह0 वैर जिला भरतपुर।

21. तेज सिंह
22. सियाराम
23. रमेशचन्द
24. श्रीलाल
25. रामदयाल
} पिसरान रंगी जाति मीणा निवासी ग्राम जगजीवनपुर तह0 वैर जिला भरतपुर।

26. जगन्या पुत्र झूत्या जाति मीणा निवासी ग्राम जगजीवनपुर तहसील वैर जिला भरतपुर।
27. मौहर बाई पत्नि धर्म सिंह
28. इन्दर बाई पत्नि विश्राम
} जाति मीणा निवासी ग्राम जगजीवनपुर तह0 वैर जिला भरतपुर।

..... तरतीवी रैस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 25.04.2011 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, वैर प्रकरण संख्या 208/93 उनवानी प्रमल बनाम गुलवाई वगै0।

अभिभाषकगण :–

1. अभिभाषक अपीलाण्ट श्री सुनील कुमार गर्ग उपस्थित ।
2. अभिभाषक रैस्पो0 श्री नरेश सिंघल अनुपस्थित ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक :–26.07.2018

1. यह अपील इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 223 के तहत, उपखण्ड अधिकारी, वैर के निर्णय दिनांक 25.04.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट/वादी द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध रैस्पो0/प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी कुल किता 11 रकवा 64 बीघा 02 विस्वा वाके ग्राम सिरस तहसील वैर में अपीलाण्ट/वादी 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी है। अपीलाण्ट/वादी एवं असल रैस्पो0/प्रतिवादी के पिता दोनों सगे भाई थे और जीवनभर दोनों शामिल सरीक रहकर विवादित आराजीयात पर काश्त करते थे। असल रैस्पो0/प्रतिवादी की शादी अपीलाण्ट/वादी के पिता कजोडया व असल रैस्पो0/प्रतिवादी के पिता ने शामिल रूप से आज से करीब 55 वर्ष पूर्व कर दी एवं वह अपने परिवार के साथ बॉरा

खोहर्रा में रह रही है। असल रैस्पो0/प्रतिवादी का अपने पिता के जीवनकाल एवं मृत्यु उपरांत विवादित आराजी पर कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है एवं ना ही वर्तमान में हैं। विवादित आराजी को मृतक कजोडया व मृतक भौरया के जीवनकाल से ही अपीलाण्ट/वादी काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। परन्तु पटवारी हल्का ने विरासतन दाखिला खारिज असल रैस्पो0/प्रतिवादी के नाम दर्ज कर दिया है। उक्त इन्द्राजों के आधार पर असल रैस्पो0/प्रतिवादी विवादित आराजीयात को दीगर जगह रहन, वय मुन्तकिल करने की धमकी देते हैं। यदि असल रैस्पो0/प्रतिवादी अपनी उपरोक्त मंशा में कामयाब हो गये तो अपीलाण्ट/वादी को अपरमित क्षति होगी। अतः वाद प्रस्तुत कर डिक्री किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में असल रैस्पो0/प्रतिवादी, गुलवाई ने दिनांक 20.10.2009 को एक राजीनामा पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। वक्त बहस रैस्पो0 एवं उनके अभिभाषक को बार–बार आवाज दिलवाये जाने के बाबजूद भी उपस्थित नहीं आये। अतः बहस अभिभाषक अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए तर्क प्रस्तुत किये कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसिल होने के कारण काबिल खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट व असल रैस्पो0 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा पर कोई गौर नहीं किया जबकि राजीनामा के आधार पर विवादित आराजी पैतृक होना बखूबी साबित है। लेकिन सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी को पैतृक आराजी ना मानकर अपीलाण्ट के दावे को डिक्री ना करने में कानूनी एवं तथ्यात्मक त्रुटि की है। असल रैस्पो0 ने उक्त राजीनामा में यह माना है कि विवादित आराजी में अपीलाण्ट 1/5 हिस्से पर मुझ रैस्पो0 के पिता भौरया के साथ शामिल शरीक रहकर काश्त करता चला आ रहा है व इस तथ्य को भी माना है कि रैस्पो0 के पिता की मृत्यु उपरांत विवादित आराजी पर अपीलाण्ट का का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि रैस्पो0 मीणा जाति की है और वह शादी शुदा औरत है; उसे विवादित आराजी में अपीलाण्ट के मुकाबले कोई हक हकूक पैदा नहीं होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने फिर भी अपीलाण्ट के दावे को खारिज करने में कानूनी भूल की है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरडी जुलाई 2006 पेज 464, आरआरटी 2016(2) पेज 1437 का हवाला देते हुए, अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। अपीलाण्ट विवादित भूमि को देवीराम की बताते हुए, विवादित भूमि को उनकी मृत्यु उपरांत भौरया व गुलबाई को विरासतन प्राप्त होना कथन करते हुए, अनु0 जनजाति के सदस्य होने के कारण हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू ना होने से पुत्रियों को विरासत प्राप्त नहीं होने के कारण विवादित भूमि में मृतक भौरया के हिस्से की भूमि पर खातेदारी अधिकार का दावा करते हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबन्दी संवत 2061–64 के अनुसार विवादित आराजी में असल रैस्पो0 गुलबाई पुत्री भौरया 1/5 हिस्से की खातेदार दर्ज रिकार्ड है। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय अथवा प्रस्तुत अपील में ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य/संविदा प्रस्तुत नहीं की है, जिससे विवादित भूमि, उनकी पैतृक आराजी सिद्ध होती हो एवं ना ही यह सिद्ध किया है कि विवादित भूमि, असल रैस्पो0 गुलबाई को विरासतन प्राप्त हुई है। अधीनस्थ न्यायालय ने उचित ही दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में दावा अपीलाण्ट खारिज

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

किया है। जिसमें हम हस्तक्षेप करने योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं पातें हैं। इसके अतिरिक्त इसके अतिरिक्त बिना दस्तावेजी साक्ष्य, कथित राजीनामा भी अपीलाण्ट को कोई लाभ नहीं पहुॅचाता है, क्योंकि राजीनामा का नियमानुसार होना आवश्यक है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वैर के आदेश दिनांक 25.04.2011 यथावत रखें जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

6. निर्णय आज दिनांक 26.07.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प बयाना

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official